न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 87/2017

श्रीमति संतोषकंवर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 5 महावीर वर्धमान धर्मकांटा, कमानी रोड़, झोटवाड़ा जयपुर जरिये अधिकृत (सामान्य अधिकार पत्र) श्री अर्जुन सिंह नरूका पुत्र श्री बलवीर सिंह नरूका, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 5 महावीर वर्धमान धर्मकांटा, कमानी रोड़, झोटवाड़ा जयपुर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्रीमति सुरज्ञान पत्नी श्री सुरेश, जाति जाट, निवासी ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.03.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील केकड़ी के राजस्व ग्राम उगाई स्थित आराजी खसरा नंबर 1084 कुल रकबा 1.37 में से 0.40 हैक्टर भूमि बाबत पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार केकड़ी के आदेश क्रमांक 6117–18 दिनांक 17.07.2013 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 581 श्रीमति सुरज्ञान पत्नी श्री सुरेश जाति जाट साकिन देह के पक्ष में गैर खातेदारी का भरकर बाद जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.08.2013 से नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार केकड़ी के आदेश दिनांक 27.08.2013 से अप्रसन्न होकर यह अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के पेश की है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट्स जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 पर ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने के साथ ही धारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उपस्थित वकीलों की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तहसील केकड़ी के राजस्व ग्राम उगाई के आराजी खसरा नंबर 1084 रकबा 1.37 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के खनिज विभाग अजमेर द्वारा अन्य आराजियात सहित अपीलान्ट के पक्ष में वास्ते खनिज बाबत आरक्षित कर अपीलान्ट को खनन पट्टा एम0एल0 49/02 वास्ते खनिज क्वार्टज फेल्सपार एण्ड माईका क्षेत्र 4.175 हैक्टर का 30 वर्ष की अवधि बाबत जारी किया जाकर दिनांक 04.11.2011 को उक्त पट्टे का पंजीयन करवाया गया। उक्त आराजी पर आदिनांक तक अपीलान्ट काबिज होकर खनन कार्य कर रहा है। खनिज विभाग की आरक्षित भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का दायित्व अधीनस्थ न्यायालय का था किन्तु उक्त कार्यवाही नहीं होने के कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 कैम्प सरसड़ी में विवादित भूमि के आवंटन बाबत शिविर प्रभारी आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे बाद परीक्षण दिनांक 11.01.2013 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अवांछित रूप से लाभान्वित करने की नीयत से बिना किसी आदेश एवं अधिकार के कानून की मंशा के बाहर जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण में मिन नम्बर 1307/1084 रकबा 0.40 गैर खातेदारी का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नजीरों एवं अपीलान्ट के न्यायहितों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आक्षेपीय नामान्तरकरण में हल्का पटवारी द्वारा अंकित रिपोर्ट दिनांक 18.07.2013 के अनुसार जांच कर सही पाये जाने की टिप्पणी अंकित की तथा दिनांक 26.08.2013 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर सही पाया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की मंशा के विपरीत जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। उक्त समस्त कार्यवाही बिना किसी आदेश/पंजीयन दस्तावेज के अभाव में अमल में लाये जाने के कारण पूर्ण रूप से फर्जकारी है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रकरण में अभिवचन व मौखिक साक्ष्य के आधार पर हक व अधिकार तय नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार अंकित अभिवचनों व कथनों को सिद्ध करने का भार, जो अभिकथन लेकर आता है उसी पर होता है जैसा कि आर.बी.जे. 1999 पेज 426 एवं आर.आर.टी. (2) पेज 1228 पर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश अपीलान्ट के हक व अधिकारों के विपरीत दस्तावेज के बाहर जाकर किये जाने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट को हैरान व परेशान करने के साथ ही विवादित भूमि से महरूम करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय में नीहित अधिकार के तहत न्यायिक दृष्टिकोण अपना कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण न्यायोचित है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर दिनांक 11.01.2013 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 में शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा बाद विधिवत जांच के किया था तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 11.01.2013 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 में आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष विवादित भूमि के आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद विधिवत जांच के रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच किये बिना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि के प्रावधानों के विपरीत रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 27.08.2013 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner